

आयकर आयुक्त बाँम्बे

बनाम

मैसर्स अमृतलाल भोगीलाल एण्ड कंपनी

(वेंकटरामा अय्यर, गजेन्द्रगडकर और ए. के. सरकार जे.जे.)

आयकर-आयकर अधिकारी के द्वारा फर्म का पंजीकरण और मूल्यांकन- कर निर्धारण आदेश के विरुद्ध अपील- अपील सहायक आयुक्त की शक्तियां अपील में- अपील में अपीलीय सहायक आयुक्त-ऐसी अपील लंबित रहने के दौरान आयकर आयुक्त द्वारा पंजीकरण के आदेश को रद्द करना- वैधता भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) 26 ए, 31 और 33 बी (1)

प्रत्यर्थी फर्म का आयकर के लिए वर्ष 1947-48, 1948-49 और 1949-50 का मूल्यांकन अंतर्गत धारा 23 (3) के तहत किया गया था। आयकर अधिकारी ने पंजीकरण का नवीनीकरण का आदेश अंतर्गत धारा 26 (ए) के तहत पारित किया और धारा 23 (6) के अंतर्गत विभिन्न भागीदारों को शेयरों का आवंटन किया। प्रत्यर्थी के द्वारा उक्त मूल्यांकन के आदेशों के विरुद्ध अपीलीय सहायक आयुक्त के समक्ष अपील प्रस्तुत की। दिनांक 04 नवम्बर 1950 को अपीलीय सहायक आयुक्त के द्वारा आंशिक रूप से वर्ष 1947-48 और 1948-49 के निर्धारण के संदर्भ में अपील स्वीकार की, लेकिन वर्ष 1949-50 के संदर्भ में अपील लंबित रही।

इस बीच आयुक्त के द्वारा धारा 33बी (1) के अंतर्गत कार्यवाही करते हुए सभी पक्षों को नोटिस जारी किया और सुनने के बाद दिनांक 05 जून 1952 को आदेश पारित करते हुए धारा 26(ए) के अंतर्गत जो पंजीकरण किया गया उसे निरस्त इस आधार पर कर दिया गया कि फर्म के भागीदारों में एक अव्यस्क एवं आयकर अधिकारी को निर्देश दिया कि तीन वर्षों का नए सिरे से कर निर्धारण करें। प्रत्यर्थी के द्वारा अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील प्रस्तुत की गई जो कि स्वीकार की गई थी। अपीलार्थी के आवेदन पर न्यायाधिकरण ने अंतर्गत अधिनियम की धारा 66(आई) के संदर्भ में बाँम्बे उच्च न्यायालय को तीन प्रश्न रेफर किये। उच्च न्यायालय ने वर्ष 1947-48 एवं 1948-49 के निर्धारण के संबंध में यह अभिनिर्धारित किया कि पंजीकरण प्रदान करने वाले आयकर अधिकारी का आदेश सहायक अपीलीय आयुक्त के अपीलीय आदेशों के अंतर्गत विलय हो गया और धारा 33बी(आई) के अंतर्गत आयुक्त की पुनरीक्षण शक्तियाँ का इसके संदर्भ में उपयोग नहीं किया जा सकता। वर्ष 1949-50 के लिए पंजीकरण के नवीनीकरण के संबंध में उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि आयुक्त अपनी पुनरीक्षण शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकता क्योंकि इस आदेश का प्रत्यर्थी की अपील में अपीलीय सहायक आयुक्त के द्वारा विचार किया जाना शेष है जो कि उसके समक्ष लंबित है। अपीलार्थी ने विशेष अनुमति प्राप्त की और अपील प्रस्तुत की।

अभिनिर्धारित, किया कि आयुक्त के पास यह अधिकार था कि वह धारा 33 बी(आई) के अंतर्गत आयकर अधिकारी द्वारा किये गये पंजीकरण के आदेश को अपास्त कर सके। आयकर अधिकारी के द्वारा पंजीकरण प्रदान करने का आदेश अपीलीय सहायक आयुक्त के समक्ष अपील योग्य नहीं था। इस तरह का आदेश आयुक्त के द्वारा अपनी पुनरीक्षण शक्तियों का प्रयोग धारा 33 बी(आई) के अंतर्गत करते हुए निरस्त किया जा सकता था परंतु अपीलीय सहायक आयुक्त के द्वारा अपीलीय क्षेत्राधिकार के दौरान प्रस्तुत अपील में यह रद्द नहीं किया जा सकता। न्यायाधिकरण का आदेश अपीलीय अधिकरण के आदेश में विलय करता है यह सिद्धांत आयकर अधिकारी के द्वारा पारित पंजीकरण आदेश पर लागू नहीं होता है।

आयकर आयुक्त, बॉम्बे उत्तर बनाम तेजाजी फरासराम खरावाला, (1953), 23 आई.टी.आर. 412, का उल्लेख किया गया है।

दुर्गाबती और नर्मदाबाला गुप्ता बनाम। आयकर आयुक्त, (1956), 30 आई.टी.आर. 101, अस्वीकृत।

लेकिन आयुक्त के पास यह अधिकार नहीं है जब कि वह पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार का प्रयोग कर रहा है तो अधिनियम की धारा 33 बी(आई) के अंतर्गत कर-निर्धारण के आदेश को अपास्त करे। आयुक्त का वर्तमान मामले में कर निर्धारण के आदेश को अपास्त करने का आशय नहीं था बल्कि केवल आयकर अधिकारी को निर्देश देकर प्रत्यर्थी द्वारा देयकर की

वसूली के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के संबंध में सुधार करके उपयुक्त प्रक्रिया के माध्यम से देयकर की वसूली करना था। फर्म का पंजीकरण और अपंजीकरण इस बात को आयकर की गणना को प्रभावित नहीं करता है। यह केवल देय पाए जाने वाले कर की वसूली में अपनाए जाने वाली प्रक्रिया को बताता है।

शापुरजी पालोनजी बनाम। आयकर आयुक्त, बाँम्बे, (1945), 13 आई.टी.आर. 113, संदर्भित।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 128/1955

विशेष अनुमति के द्वारा अपील, आई.टी.आर. संख्या 40/1952 में बाँम्बे उच्च न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय व आदेश दिनांकित 05 मार्च 1952 के विरुद्ध।

एच. एन. सान्याल, अतिरिक्त सॉलिसिटर-जनरल आँफ इंडिया, के.एन. राजगोपाल शास्त्री और आर. एच. डेबर, अपीलार्थी के लिए।

बी.आर.एल. अयंगर, प्रत्यर्थी के लिए।

28 अप्रैल 1958। न्यायालय का निर्णय इनके द्वारा दिया गया।

जे. गजेन्द्रगडकर- यह अपील आयकर आयुक्त बाँम्बे के द्वारा विशेष अनुमति लेकर प्रस्तुत की है जिसके तहत एक छोटा सा विधि का प्रश्न उत्पन्न हुआ है, जो कि आयकर अधिनियम की धारा 33बी से संबंधित है। प्रत्यर्थी एक पंजीकृत फर्म के रूप में अधिनियम की धारा

26(ए) के अंतर्गत वर्ष 1946-47 में दर्ज हुई। आयकर अधिकारी ने प्रत्यर्थी के कर का निर्धारण दिनांक 07 जून 1949 और 23 सितम्बर 1949 को अधिनियम की धारा 23(3) के अंतर्गत किया। आयकर अधिकारी ने प्रत्यर्थी के अनुमानित लाभ के संदर्भ में धारा 13 के अंतर्गत निर्धारण किया और प्रत्यर्थी की कुल आय 95,053/-रुपये 93,430/-रुपये और 83,752/-रुपये उक्त वर्षों के लिए निर्धारित की। प्रत्यर्थी के द्वारा फर्म के पंजीकरण के नवीनीकरण हेतु आवेदन किया और प्राप्त किया। आयकर अधिकारी के द्वारा अधिनियम की धारा 23(6) के अंतर्गत विभिन्न पक्षों को शेयरों के आवंटन का आदेश पारित किया।

उक्त मूल्यांकन के आदेश के विरुद्ध प्रत्यर्थी ने अपीलीय सहायक आयुक्त के समक्ष अपील प्रस्तुत की। 04 नवम्बर 1950 को अपीलीय सहायक आयुक्त ने प्रत्यर्थी के आय के पूर्वानुमान का कम करते हुए वर्ष 1947-48 में 28,250/-रुपये एवं वर्ष 1948-49 में 19,000/-रुपये का अनुमानित लाभ निर्धारित किया। प्रत्यर्थी की वर्ष 1949-50 के संदर्भ में अपील, अपीलीय सहायक आयुक्त के समक्ष लंबित थी।

इस बीच आयकर आयुक्त के ध्यान में यह आया कि प्रत्यर्थी फर्म जिसे पंजीकरण का नवीनीकरण दिया गया था वह फर्म ऐसी नहीं थी जिसे कि अधिनियम के तहत पंजीकृत किया जा सके क्योंकि फर्म के भागीदारों में से एक नाबालिग था। आयुक्त ने अधिनियम की धारा 33बी(1) के

अंतर्गत प्रत्यर्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किया कि धारा 23(3) के अंतर्गत जो मूल्यांकन किया गया है उसे और धारा 26(ए) के अंतर्गत जो पंजीकरण किया है उसे क्यों न निरस्त कर दिया जाये। सभी पक्षों को सुनने के पश्चात आयुक्त के द्वारा 05 जून 1951 को धारा 33बी(1) के अंतर्गत आदेश पारित किया गया और फर्म का पंजीकरण धारा 26(ए) के अंतर्गत निरस्त कर दिया गया और आयकर अधिकारी को निर्देश दिया कि प्रत्यर्थी के खिलाफ अपंजीकृत फर्म के रूप में पिछले तीन वर्षों का नए सिरे से आकलन किया जाए। इस पुनरीक्षण आदेश के परिणामस्वरूप आयकर अधिकारी ने नए आदेश पारित किये।

प्रत्यर्थी ने अधिकरण के समक्ष 05 अपील प्रस्तुत की, इनमें से दो अपीलें अपील सहायक आयुक्त के आदेश अंतर्गत धारा 31 एवं कर निर्धारण वर्ष 1947-48 और 1948-49 के संदर्भ में थी, जबकि शेष तीन आयकर आयुक्त के धारा 33बी(1) और कर निर्धारण वर्ष 1947-48, 1948-49 और 1949-50 के आदेशों के विरुद्ध थी। इन तीन अपीलों के संबंध में प्रत्यर्थी ने यह तर्क दिया कि आयुक्त विधि के अनुसार निर्धारण के आदेश को अपास्त करने में सक्षम नहीं था, जो कि अपीलीय सहायक आयुक्त के द्वारा संशोधित एवं पुष्टि किया गया था, आयुक्त के द्वारा धारा 33बी(1) के तहत पारित आदेश विधि की दृष्टि में गलत था, जिसमें आयकर अधिकारी को एक विशेष तरीके से आदेश दिया गया था और उसके

पश्चात आयकर अधिकारी के द्वारा प्रत्यर्थी के पंजीकरण को रद्द करने का जो आदेश पारित किया गया, वह भी गलत था जो कि प्रत्यर्थी को बिना नोटिस दिये एवं बिना सुनवाई के पारित किये गये थे। दिनांक 02 जनवरी 1952 को अधिकरण ने प्रत्यर्थी के तर्कों को स्वीकारा और प्रत्यर्थी की अपीलों को मंजूर किया गया।

अपीलार्थी ने इसके पश्चात अधिनियम की धारा 66(1) के अंतर्गत अधिकरण के समक्ष आवेदन किया और उच्च न्यायालय से तीन प्रश्नों के संदर्भ में राय प्राप्त करने हेतु भेजा। अधिकरण ने उसके परिणामस्वरूप तीन प्रश्नों का निर्धारण किया और उन्हें उच्च न्यायालय को भेजा।

“(1). क्या प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियों के अंतर्गत आयकर आयुक्त धारा 33बी(1) के अंतर्गत अपीलीय सहायक आयुक्त के आदेश को वर्ष 1947-48 और 1948-49 के लिए अपास्त कर सकता है।

(2). क्या प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों में आयकर आयुक्त के द्वारा पारित आदेश दिनांक 05 जून 1951 विधि की दृष्टि से गलत है, क्योंकि यह आयकर अधिकारी को विशेष तरीके से आदेश पारित करने का निर्देश देता है।

(3). क्या प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों में आयकर अधिकारी के द्वारा दिनांक 21 जून 1952 को पारित आदेश विधि की दृष्टि से गलत है, क्योंकि आयकर अधिनियम की धारा 22 व 23 के तहत आयकर अधिकारी के द्वारा करदाता को नए सिरे से नोटिस जारी नहीं किये गये थे।

यह प्रकरण उच्च न्यायालय के द्वारा दिनांक 05 मार्च 1953 को सुना गया। वर्ष 1947-48 और 1948-49 के संदर्भ में उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि अपीलार्थी के द्वारा जो प्रश्न उठाए गए हैं, उक्त प्रश्नों का निर्णय, पूर्व के निर्णय **आयुक्त आयकर बॉम्बे उत्तर बनाम तेजाजी फरासराम खरावाला(1)** में उच्च न्यायालय ने कहा था कि जब अधिकरण के आदेश के विरुद्ध अपील का प्रावधान दिया गया है और अपील न्यायालय अपील की सुनवाई के पश्चात आदेश पारित करता है तो मूल न्यायालय का आदेश अपीलीय न्यायालय के आदेश में विलय हो जाता है और यद्यपि अपीलीय न्यायालय केवल अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की पुष्टि करता है तो वह आदेश जो कि कायम रहता है, वह आदेश अधीनस्थ न्यायालय का न होकर अपील न्यायालय का आदेश होता है। इस दृष्टिकोण से इस प्रकरण में आयकर अधिकारी के आदेश के बाद प्रत्यर्थी को पंजीकरण प्रदान करना अपीलीय आदेश में विलय माना गया था।

आयुक्त की पुनरीक्षण शक्तियों का इसमें उपयोग नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार का दृष्टिकोण पटना उच्च न्यायालय के निर्णय में बहुमत से लिया गया था जो कि **दुर्गावती एवं नर्मदावाला गुप्ता बनाम आयकर आयुक्त(1)**। वर्ष 1949-50 के लिए प्रत्यर्थी के पंजीकरण के नवीनीकरण के संदर्भ में आयकर अधिकारी द्वारा पारित आदेश के लिए उच्च न्यायालय ने यह मत लिया कि इस आदेश के संदर्भ में भी आयुक्त पुनरीक्षण शक्तियों को प्रयोग में नहीं ले सकता, क्योंकि इस आदेश की औचित्ता एवं शुद्धता का प्रश्न अपीलीय सहायक आयुक्त के समक्ष विचारणीय था जो कि प्रत्यर्थी की अपील उसके समक्ष लंबित थी, **आयकर आयुक्त बनाम अमृतलाल भोगीलाल(2)**। इस आदेश के संबंध में उच्च न्यायालय ने एक अतिरिक्त प्रश्न तैयार किया जो कि इस प्रकार था कि “क्या आयुक्त का आदेश अंतर्गत धारा 33बी(1) जो कि आयकर अधिकारी के आदेश को अपास्त करने का था, वह वैध है या नहीं, जबकि उक्त आदेश के विरुद्ध अपीलीय सहायक 1 आयुक्त के समक्ष अपील लंबित थी”। उच्च न्यायालय ने इस अतिरिक्त प्रश्न का उत्तर करदाता के पक्ष में दिया। उच्च न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि आयुक्त का प्रत्यर्थी के पंजीकरण को पिछले तीन वर्षों के संदर्भ में निरस्त करने का आदेश अवैध था, इसलिए उच्च न्यायालय ने शेष रहे दो प्रश्नों का जवाब देना आवश्यक नहीं समझा।

इसके पश्चात अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय के समक्ष प्रमाण पत्र अंतर्गत धारा 66ए(2) के लिए आवेदन किया जिसे उच्च न्यायालय ने अस्वीकार कर दिया। इसके पश्चात अपीलार्थी ने इस न्यायालय के समक्ष विशेष अनुमति याचिका प्रस्तुत की जो कि दिनांक 22 मार्च 1954 को इस न्यायालय द्वारा प्रदान की गई। अपीलार्थी का मुख्य तर्क यह रहा कि उच्च न्यायालय के द्वारा जो दृष्टिकोण लिया गया है कि आयकर आयुक्त अपनी पुनरीक्षण शक्तियों का प्रयोग प्रत्यर्थी को पिछले तीन वर्षों के पंजीकरण दिये जाने के आदेश के संदर्भ में मुख्यतः धारा 33बी के गलत व्याख्या करने पर आधारित है।

धारा 33बी(1) जो कि आयुक्त को पुनरीक्षण शक्तियां प्रदान करती है कि आयुक्त इस अधिनियम के अंतर्गत किसी भी कार्यवाही व रिपोर्ट का परीक्षण कर सकता है और उसकी जांच कर सकता है और आयकर अधिकारी के द्वारा यदि गलत आदेश पारित किया गया है तो उस पर विचार कर सकता है। जहां तक कि राजस्व को उसके माध्यम से हानि हो रही है, वह निर्धारिती को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् और ऐसी जांच जो कि वह आवश्यक समझे करने के पश्चात्, मामले की परिस्थितियों के अनुसार ऐसा आदेश पारित कर सकता है जिसमें कर को बढ़ाना या निर्धारित कर को संशोधित करना या निर्धारित कर को निरस्त करना या नए सिरे से निर्धारण का निर्देश देना। उपधारा(2) यह प्रावधान

करती है कि धारा 34 के अंतर्गत किया गया पुनर्निर्धारण का पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 33बी(1) के तहत नहीं किया जा सकता और यह भी जोडा कि उक्त पुनरीक्षण शक्तियों का प्रयोग दो साल के अंतराल के पश्चात् नहीं किया जा सकता, जिस आदेश की तारीख से संशोधन की मांग की गई। उपधारा(3) करदाता को यह अधिकार देती है कि वह आयुक्त की पुनरीक्षण आदेश के विरुद्ध अपीलीय न्यायाधिकरण में निर्धारित अवधि में अपील प्रस्तुत कर सके और उपधारा (4) ऐसी अपील प्रस्तुत करने की प्रक्रिया प्रदान करती है।

वर्तमान अपील में दो छोटे प्रश्न हैं कि जो कि धारा 33बी(1) के अंतर्गत निर्णित करने हैं-

1. “क्या आयकर अधिकारी के द्वारा निर्धारिती को पंजीकरण का आदेश प्रदान करना, इसके पश्चात भी निरंतर माना जाएगा जबकि निर्धारिती के द्वारा कर निर्धारण के विरुद्ध अपील प्रस्तुत कर दी गई है, इस आधार पर कि करदाता एक पंजीकृत फर्म है जो कि अपीलीय सहायक आयुक्त निर्णित की गई है। दूसरे शब्दों में जहां अपील पहले की जाती है, जो कि एक निर्धारिती के द्वारा उसके निर्धारण के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जो कि अपीलीय सहायक आयुक्त के द्वारा विचारित की गई है और निर्णित की गई है, क्या पंजीकरण के आदेश के साथ-साथ निर्धारण का आदेश अपीलीय आदेश में विलय हो जाएगा? यदि विधि के अनुसार पंजीकरण का

आदेश अंतिम अपीलीय आदेश में विलय हो जाएगा तो स्पष्ट रूप से आयुक्त की पुनरीक्षण शक्तियों का प्रयोग इसके संदर्भ में नहीं किया जा सकता। कर निर्धारण वर्ष 1947-48 और 1948-49 के संदर्भ में पंजीकरण आदेश के लिए यह प्रश्न उत्पन्न हुआ है। इसके अतिरिक्त अन्य प्रश्न जिसका कि निर्णय किया जाना है, क्या पंजीकरण का आदेश कर निर्धारण वर्ष 1949-50 के संदर्भ में आयुक्त की पुनरीक्षण शक्तियों के अंतर्गत वाद की विषयवस्तु हो सकती है यद्यपि निर्धारिती की अपील उक्त निर्धारण के विरुद्ध अपीलीय सहायक आयुक्त के समक्ष उस समय लंबित हो।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि यदि अधिकरण के आदेश के विरुद्ध अपील का प्रावधान है तो अपीलीय अधिकरण का आदेश ही विधि की दृष्टि में प्रभावी आदेश होगा। यदि अपीलीय अधिकरण के द्वारा अधिकरण के आदेश को संशोधित या बदला गया है तो अपीलीय निर्णय ही प्रभावी एवं विधि के अनुसार पालना योग्य है। विधि की दृष्टि में स्थिति समान होगी यदि अपीलीय अधिकरण निर्णय की पुष्टि करता है। अपीलीय अधिकरण के द्वारा अधिकरण के आदेश की पुष्टि किया जाने पर अधिकरण का आदेश अपीलीय आदेश में विलय हो जाएगा। पुष्टि की परिणामस्वरूप अधिकरण का आदेश अपीलीय अधिकरण के आदेश में विलय हो जाएगा और अपीलीय निर्णय ही एकमात्र कायम रहता है जो कि प्रभावी और प्रवर्तनीय

योग्य है लेकिन प्रश्न यह है कि यह सिद्धांत आयकर अधिकारी के प्रत्यर्थी को पंजीकरण प्रदान करने के आदेश पर लागू हो सकता है।

इस प्रश्न पर विचार करने के लिए सबसे पहले आवश्यक है कि पंजीकरण प्रदान करने के अधिनियम में संबंधित प्रावधानों का यहां उल्लेख किया जाये। अधिनियम की धारा 26ए फर्मों के पंजीकरण की प्रक्रिया निर्धारित करती है। एक आवेदन फर्म की ओर से उक्त धारा द्वारा निर्धारित विवरण और बनाए गए नियमों को समाविष्ट करते हुए पेश किया जाना चाहिए। यदि पंजीकरण आयकर अधिकारी के द्वारा दिया जाता है तो यह प्रावधान आयकर अधिकारी को धारा 23(5)(ए) के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया को अपनाकर पंजीकृत फर्म का कर निर्धारण का आदेश करने हेतु सक्षम बनाता है। यदि कोई फर्म पंजीकरण नहीं है तो धारा 23(5)(बी) में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए कर निर्धारण का आदेश पारित किया जाना चाहिए। फर्म धारा (2) के अंतर्गत एक निर्धारिती है, चाहे वह धारा 26ए के अंतर्गत पंजीकृत हो या नहीं। यह अधिनियम फर्म पर यह दायित्व नहीं लगाता है कि फर्म आवेदन करके पंजीकरण प्राप्त करे। इस अधिनियम का उद्देश्य पंजीकरण के प्रभाव को परिभाषित करना नहीं है और ना ही पंजीकरण के प्रभाव के आधार पर पक्षकारों के अधिकारों को स्पष्ट करता है। धारा 23(5)(ए) और (बी) यह प्रावधान करती है कि किस प्रक्रिया के माध्यम से कर संग्रह और कर वसूली की

जानी है। किसी भी मायने में उन्हें शुल्क अधिरोपित धारा के रूप में नहीं माना जाएगा। भले ही कोई फर्म धारा 26ए के प्रावधानों के अंतर्गत पंजीकृत हो या नहीं। इससे उसके व्यक्तिगत भागीदारों के दायित्व में कोई अंतर उत्पन्न नहीं होता जो कि निर्धारित की जाने वाली कुल आय पर वसूल किये जाने वाले टैक्स के निर्धारण जो कि आयकर अधिकारी के द्वारा अधिनियम की धारा 3 व 4 के अनुसार की जानी है। कर योग्य आय की गणना धारा 23(5) में प्रावधित प्रक्रिया से प्रभावित नहीं होगी।

शाहपुरजी पालौनजी बनाम आयकर बाँम्बे(1) जिस पर कि श्री अययंगकर स्वयं विश्वास करते हुए इस स्थिति को स्पष्ट रूप से सामने लाते हैं और इस बात पर जोर देते हैं कि यह सही है कि आयकर अधिकारी धारा 23(5) (ए) और (बी) के प्रावधानों के अनुसार दो प्रक्रियाओं को अपनाकर पंजीकृत व अपंजीकृत फर्मों के देयकर का निर्धारण कर सकता है और देयकर की वसूली की मांग कर सकता है। लेकिन यह कर योग्य आय की गणना को प्रभावित नहीं करता। यहां यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि निर्धारिती फर्म को पंजीकरण प्रदान करना एक पृथक आदेश है और यह केवल देयकर को वसूलने एवं संग्रह करने के अंतर्गत अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को प्रभावित करता है। यह विवादित नहीं है कि आयकर अधिकारी के द्वारा किसी निर्धारिती फर्म को दिया गया पंजीकरण उसके स्वयं के द्वारा अंतर्गत धारा 23(4) या अंतर्गत धारा 6बी के तहत निरस्त किया जा सकता है। यह भी स्पष्ट है कि आयकर अधिकारी के द्वारा पंजीकरण

करने का आदेश आयुक्त के द्वारा धारा 33बी(1) के अंतर्गत निरस्त किया जा सकता है। प्रत्यर्थी का यह तर्क रहा है कि अपील के निर्णय के परिणामस्वरूप जो कि उसके द्वारा आयकर अधिकारी के कर निर्धारण आदेश के विरुद्ध की गई थी, आयकर अधिकारी के द्वारा उसे प्रदान किया गया पंजीकरण उसी आयकर अधिकारी के द्वारा निरस्त कर दिया गया है। इसलिए यह आवश्यक है कि क्या पंजीकरण का आदेश जो कि आयकर अधिकारी के द्वारा दिया गया था उसे विभाग के द्वारा अपीलीय सहायक आयुक्त के समक्ष चुनौती दी गई थी, जहां कि निर्धारिती के द्वारा निर्धारण के विरुद्ध अपील प्रस्तुत की गई थी। इस प्रश्न का निर्णय निसंदेह रूप से अधिनियम के उन प्रावधानों पर निर्भर करेगा जिसमें अपीलीय सहायक आयुक्त को अपील के संबंध में और अपीलीय सहायक आयुक्त की अपीलीय शक्तियों के संबंध में प्रावधान किया है। धारा 30(1) निर्धारिती को अपील प्रस्तुत करने का अधिकार उक्त धारा में निर्दिष्ट आदेशों के खिलाफ देता है। निर्धारिती फर्म उदाहरण के लिए उक्त आय की राशि पर आपत्ति कर सकती है जो कि अंतर्गत धारा 23 और धारा 27 के अंतर्गत निर्धारित की गई है। निर्धारिती फर्म उस आदेश के विरुद्ध 1 भी आपत्ति कर सकती है जिसके द्वारा आयकर अधिकारी ने अंतर्गत धारा 23(4) या 26 ए के अंतर्गत पंजीकरण करने से इनकार किया है। इसी प्रकार इसका उद्देश्य आयकर अधिकारी के द्वारा धारा 23(4) के प्रावधानों

के अंतर्गत पंजीकरण के निरस्तीकरण के आदेश के विरुद्ध आपत्ति करना है।

यहां यह महत्वपूर्ण है कि जहां आयकर अधिकारी के द्वारा धारा 23(4) और धारा 26ए के अंतर्गत फर्म के पंजीकरण और फर्म के पंजीकरण के निरस्तीकरण के विरुद्ध अपील करने का प्रावधान है, वहीं यह विभाग को पंजीकरण प्रदान किये जाने के विरुद्ध अपील करने का अधिकार नहीं देती है। वास्तव में यह सहायक आयुक्त को अपील के संबंध में प्रावधानों को बताती है जिसका कि केवल निर्धारिती को ही अधिकार दिया गया है न कि विभाग को अपील प्रस्तुत करने का अधिकार दिया है। अतः इसमें कोई संदेह नहीं है कि आयकर अधिकारी का फर्म को पंजीकरण करने का आदेश अपीलीय सहायक आयुक्त के समक्ष अपील की विषयवस्तु नहीं बन सकती।

अगला प्रश्न जिस पर कि विचार किया जाना आवश्यक है, कि क्या आयकर अधिकारी के द्वारा किसी फर्म को पंजीकरण प्रदान किये जाने का आदेश विभाग के द्वारा किसी फर्म की अपील की सुनवाई के दौरान चुनौती दी जा सकती है, जबकि अपील अंतिम निर्धारण के आदेश जो कि आयकर अधिकारी के द्वारा दिया गया है उसके विरुद्ध है? अपीलीय सहायक आयुक्त की शक्तियां अधिनियम की धारा 31 में दी गई हैं। धारा 3(ए) अपीलीय सहायक आयुक्त को अपील में कर निर्धारण की पुष्टि करने, कम

करने, बढ़ाने और उसे रद्द करने के लिए अधिकृत करती है। धारा 31(3) (बी) अपीलीय अधिकारी को यह शक्तियां प्रदान करती है कि अपीलीय अधिकारी कर निर्धारण को निरस्त करे या आयकर अधिकारी को नए सिरे से निर्धारण हेतु निर्देश दे जो कि आयकर अधिकारी जैसा उचित समझे अग्रिम जांच करके निर्धारित करे या अपीलीय सहायक आयुक्त के निर्देशों के अनुसार निर्धारित करे। अपीलीय सहायक आयुक्त को यह भी शक्ति दी गई है कि पंजीकरण निरस्त किये जाने के प्रकरण में धारा 23 की उपधारा 4 के अनुसार किसी फर्म को धारा 23(4) या धारा 26 के अंतर्गत फर्म के पंजीकृत करने से इनकार करे या धारा 27 के अंतर्गत नए सिरे से निर्धारण का आदेश करे, इस प्रकार के आदेश की पुष्टि करे या निरस्त करे और आयकर अधिकारी को निर्देश दे कि फर्म का पंजीकरण करे या नए सिरे से निर्धारण करे जैसा भी प्रकरण हो। यह प्रावधान आगे यह भी प्रावधान करता है कि आयकर अधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील की सुनवाई में आयकर अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से या प्रतिनिधि के माध्यम से सुनवाई का अधिकार होगा। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि धारा 31 के अंतर्गत अपीलीय सहायक आयुक्त को विस्तृत शक्तियां प्रदान की गई हैं। यहां यह भी स्पष्ट किया गया है कि अपीलीय अधिकरण अपनी शक्तियों का प्रयोग करने से पूर्व इस बात के लिए बाध्य है कि वह आयकर अधिकारी और उसके प्रतिनिधि को सुने। श्री अययंगर के द्वारा इस न्यायालय को यह तर्क दिया गया है कि उक्त प्रावधान यह दर्शाते हैं कि

अपीलीय सहायक आयुक्त उक्त विस्तृत शक्तियों का प्रयोग करते हुए उचित प्रकरण में आयकर अधिकारी और उसके प्रतिनिधि को सुनने के पश्चात् आयकर अधिकारी द्वारा प्रदान किये गये पंजीकरण को निरस्त कर सकता है। हम इस तर्क को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं यद्यपि अपीलीय सहायक आयुक्त की शक्तियां विस्तृत हैं जिनका कि प्रयोग उन प्रकरणों के लिए किया जाना चाहिए जो कि अधिनियम की धारा 30(1) के अंतर्गत अपीलीय योग्य है। यदि कोई आदेश जानबूझकर अपीलीय सहायक आयुक्त के क्षेत्राधिकार से बाहर रखा गया है तो अपीलीय अधिकारी ऐसे आदेश की शुद्धता, वैधता एवं अवैधता की जांच नहीं कर सकता है। इसके विपरीत प्रत्यर्थी के तर्क को स्वीकार किया जाता है कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि अधिनियम के अंतर्गत विभाग को अपील प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं दिया है जिसके द्वारा विभाग अपीलीय सहायक आयुक्त के समक्ष आयकर अधिकारी के ओदश के विरुद्ध अपील प्रस्तुत कर सके। आयकर अधिकारी के द्वारा पंजीकरण प्रदान करने का आदेश धारा 6बी और धारा 23(4) के प्रावधानों के अनुसार स्वयं आयकर अधिकारी ही निरस्त कर सकता है। आयुक्त के द्वारा धारा 33बी के प्रावधानों के अंतर्गत पुनरीक्षण शक्तियों का प्रयोग करते हुए भी पंजीकरण निरस्त किया जा सकता है लेकिन अपीलीय सहायक आयुक्त के द्वारा अधिनियम की धारा 31 के प्रावधानों के अनुसार अपीलीय क्षेत्राधिकार में उसे निरस्त नहीं किया जा सकता। यह सही है कि निर्धारिती की अपील जो कि

निर्धारण के विरुद्ध है, उसके विचारण में अपीलीय सहायक आयुक्त निर्धारण को संशोधित कर सकता है, पलट सकता है, अग्रिम जांच हेतु भेज सकता है, लेकिन अपीलीय सहायक आयुक्त के द्वारा अपील में पारित आदेश पंजीकरण के आदेश को प्रभावित नहीं कर सकता, जो कि आयकर अधिकारी के द्वारा किया गया है। यदि यह सही स्थिति है तो आयकर अधिकारी द्वारा पारित पंजीकरण आदेश अपीलीय सहायक आयुक्त के क्षेत्राधिकार से बाहर है और स्पष्टतः अपीलीय अधिकरण के समक्ष की कार्यवाहियों का भार नहीं है। अपील पर निर्णय किये जाने के पश्चात उसके परिणामस्वरूप केवल अपील का आदेश ही एक वैध आदेश है जो कानूनन प्रवर्तनीय है। अपीलीय आदेश में आयकर अधिकारी का वह आदेश विलय होगा जिसे कि अपील में चुनौती दी गई थी, न कि पंजीकरण का वह आदेश जो कि अपील की कभी विषयवस्तु नहीं रही। यह सिद्धांत कि न्यायाधिकरण का आदेश अपीलीय प्राधिकरण के आदेश में मिल जाता है, इस प्रकरण में इसलिए पंजीकरण के आदेश पर लागू नहीं हो सकता जो कि आयकर अधिकारी द्वारा जारी किया गया है।

इस संदर्भ में हम श्री अययंकर के उक्त तर्क का संदर्भ देना चाहेंगे जो कि हमारे समक्ष रखा गया है। उन्होंने कहा कि जब अपीलीय सहायक आयुक्त ने निर्धारिती की अपील सुनी, वह स्वयं निर्धारिती की संपूर्ण आय की गणना कर रहा है और इसी क्रम में वह सक्षम है सभी आवश्यक एवं

संबंध विषयों पर विचार करने के लिए। इस तर्क के समर्थन में श्री अययंकर ने एक निर्णय **रैक्स बनाम द स्पेशल कमीशनर आॅफ इनकम टैक्स (एकपक्षीय एल्महस्ट)(1)** राजा की डिवीजन बेंच के समक्ष यह बिंदु उत्पन्न हुआ था कि जब अपील हेतु नोटिस दिया गया तो निर्धारिती के पास यह विकल्प था कि वह अपनी अपील वापस ले, और न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि एक बार अपील का नोटिस देने पर अपीलीय अधिकरण इस बात के लिए सक्षम ही नहीं था अपितु वह बाध्यकारी था कि निर्धारिती की वास्तविक निर्धारण की राशि का आकलन करे। हम यह देखने में असक्षम हैं कि उक्त निर्णय किस प्रकार प्रत्यर्थी की मदद इस प्रकरण में कर रहा है। जब अपीलीय सहायक आयुक्त के समक्ष कोई अपील की जाती है तो निसंदेह वह मामले की जांच करने के लिए बाध्य होता है लेकिन वह उन विषयों को अपने क्षेत्राधिकार में नहीं ला सकता जो कि जानबूझकर अधिनियम के द्वारा उसके क्षेत्राधिकार से बाहर रखे गये हैं। धारा 30(1) के प्रावधानों के अनुसार यदि किसी आदेश के विरुद्ध अपील का प्रावधान नहीं है तो विधायिका का स्पष्ट रूप से यह आशय रहा है कि उक्त आदेश की वैधता अपीलीय अधिकरण के समक्ष नहीं देखी जा सकती। अपीलीय प्राधिकारी की अधिकारिता और शक्तियों का निर्धारण अनिवार्य रूप से अधिनियम के विशिष्ट और प्रासंगिक प्रावधानों के द्वारा किया जाना चाहिए।

इस संदर्भ में यह आवश्यक होगा कि आयुक्त की पुनरीक्षण शक्तियां जो कि धारा 30 ए और धारा 33 बी में क्रमशः दी गई हैं उनकी तुलना की जाए। आयुक्त की पुनरीक्षण शक्तियां अंतर्गत धारा 33 ए निर्धारिती के प्रकरण में उसके प्रतिकूल प्रयोग में नहीं लाई जा सकती। यह शक्तियां आयुक्त के अधीनस्थ अधिकारी के द्वारा पारित आदेश के संदर्भ में प्रयोग में लाई जा सकती हैं। लेकिन किसी भी परिस्थिति में पुनरीक्षण आदेश निर्धारिती के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डाल सकता। यहां यह महत्वपूर्ण है कि धारा 33 ए स्पष्टतः अपीलीय सहायक आयुक्त को आयुक्त के अधीनस्थ अधिकारी बनाता है। अन्य शब्दों में आयुक्त अपनी पुनरीक्षण शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपीलीय सहायक आयुक्त के आदेश को निर्धारिती के पक्ष में संशोधित या परिवर्तित कर सकता है। धारा 33 बी के अंतर्गत स्थिति भिन्न है। धारा 33 बी के अंतर्गत आयुक्त की पुनरीक्षण शक्तियां केवल आयकर अधिकारी के द्वारा पारित आदेश के संदर्भ में प्रयुक्त में ली जा सकती हैं। यह एक महत्वपूर्ण अंतर है जो कि दोनों पुनरीक्षण शक्तियों में है। एक अन्य महत्वपूर्ण अंतर यह है कि जहां धारा 33 ए के अंतर्गत पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार निर्धारिती को प्रतिकूल प्रभाव नहीं डाल सकता, वहीं धारा 33 बी की पुनरीक्षण शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयुक्त निर्धारिती के विरुद्ध प्रतिकूल आदेश कर सकता है। इसमें कोई विवाद की स्थिति नहीं है कि धारा 33 बी के अंतर्गत अशुद्ध आदेश जो कि आयकर अधिकारी के द्वारा पारित किये गये हैं जिनसे राजस्व को

विपरीत प्रभाव पडा है उन्हें आयुक्त परिवर्तित कर सकता है। अब आयकर अधिकारी का फर्म पंजीकरण का आदेश अपील योग्य नहीं है और इसलिए यह अपीलीय सहायक आयुक्त के समक्ष अपील की विषयवस्तु नहीं बन सकता। इस प्रकार का आदेश आयुक्त के समक्ष धारा 33बी के अंतर्गत इसका गलत संशोधित किया जा सकता है जबकि वह यह मानता है कि यह गलत तरीके से पारित किया गया है। इस प्रकरण में कोई संदेह नहीं है कि प्रतिवादी को इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए वैध रूप से पंजीकृत नहीं किया जा सकता कि इसका एक भागीदार नाबालिग है, इसलिए गुणावगुण पर विचार करते हुए आयुक्त का आदेश पूर्णतः सही है। हम उसके अनुसार यह अभिनिर्धारित करते हैं कि उच्च न्यायालय इस दृष्टिकोण को लेने में गलत था कि आयुक्त के पास कोई अधिकार नहीं था कि वह आयकर अधिकारी द्वारा प्रदान किये गये पंजीकरण को वर्ष 1947-48 व 1948-49 के लिए रद्द करता।

वर्ष 1949-50 के संबंध में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। प्रत्यर्थी के द्वारा आयकर अधिकारी के निर्धारण के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत अपील अपीलीय सहायक आयुक्त के समक्ष लंबित है। इसलिए इस अवधि के लिए पंजीकरण के नवीनीकरण को मंजूरी देने वाले आदेश के संबंध में विलय का कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। इसमें कोई संदेह नहीं है कि विलय के सिद्धांत पर अपील की लंबितता आदेश को अपील के तहत

दोहरे विचारण के संकट में डालती है। लेकिन जब तक अपील अंतिम तौर पर निस्तारित नहीं हो जाती तब तक आदेश कायम है और विधि के अनुसार प्रभावी है। यह तर्क नहीं दिया जा सकता कि मात्र अपील के लंबित रहने के कारण अपीलीय आदेश के संचालन को निलंबित रखा जाए। हालांकि ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय ने यह दृष्टिकोण रखा कि पुनरीक्षण शक्ति एक असाधारण शक्ति है जो कि केवल असामान्य और असाधारण कारणों से ही प्रयोग में ली जानी चाहिए। उच्च न्यायालय द्वारा यह भी माना गया कि लंबित अपील में विभाग के पास में एक वैकल्पिक उपाय यह है कि विभाग प्रत्यर्थी के पंजीकरण को उच्च न्यायालय में चुनौती दे सकता था और अपीलीय सहायक आयुक्त को पंजीकरण निरस्त करने के लिए कह सकता था। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि विभाग ने पंजीकरण आदेश की वैधता को निर्धारिती की अपील के समक्ष चुनौती नहीं दी इसलिए यह तर्क कि विभाग के पास में एक वैकल्पिक उपाय था जो सही नहीं है। उच्च न्यायालय के निर्णय से यह स्पष्ट है कि विद्वान न्यायाधीशों के इस निष्कर्ष पर पहुंचने में यह धारणा रही कि विभाग के पास में वैकल्पिक उपचार था जिससे की महत्वता दी गई। फिर यह तर्क कि असाधारण पुनरीक्षण शक्तियों का प्रयोग केवल साधारण कारणों से किया जाना चाहिए, ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। क्या किसी प्रकरण में पुनरीक्षण शक्तियों का प्रयोग किया जाना चाहिए या नहीं उसका निर्धारण केवल धारा 33 बी के प्रावधानों के अनुसार किया जाना चाहिए। न्यायालय

को उक्त शक्तियों के प्रयोग पर अतिरिक्त बाध्यता नहीं लगाई जानी चाहिए जो कि काल्पनिक विचारों और असाधारण प्रकृति की शक्तियों पर आधारित है। इसलिए हमें यह निर्धारित करना चाहिए कि उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करने में त्रुटि की है कि आयुक्त प्रत्यर्थी के पंजीकरण को वर्ष 1949-50 के लिए निरस्त करने के लिए अधिकृत नहीं था। परिणामस्वरूप उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण परिवर्तित किया जाता है। न्यायाधिकरण द्वारा बनाए गए प्रथम प्रश्न के साथ-साथ उच्च न्यायालय के द्वारा निर्मित किए गए अतिरिक्त प्रश्न का उत्तर अपीलार्थी के पक्ष में दिया जाता है।

इसके बाद दो अन्य प्रश्न शेष हैं जो कि न्यायाधिकरण द्वारा तैयार किये गये थे लेकिन उच्च न्यायालय द्वारा उन पर विचार नहीं किया गया। उभय पक्ष के अधिवक्ता इस बात पर सहमत हैं कि हमें इन दोनों प्रश्नों को उच्च न्यायालय को इस निर्देश के साथ भेजने की आवश्यकता नहीं है कि उच्च न्यायालय उन प्रश्नों को विधि के अनुसार निर्णय करे। हमारे समक्ष यह स्वीकार किया गया है कि यदि धारा 33बी (1) के अंतर्गत आयुक्त की शक्तियां जो कि प्रत्यर्थी के पंजीकरण को निरस्त करने के संबंध में उसका जवाब अपीलार्थी के पक्ष में दिया गया है तो शेष दो प्रश्न केवल आकादमिक रह जाते हैं और उनका उत्तर भी अपीलार्थी के पक्ष में होना चाहिए। यह सही है कि आयुक्त ने अपने आदेश के द्वारा

आयकर अधिकारी द्वारा पारित आदेश अंतर्गत धारा 23(3) और धारा 55 के आदेश को अपास्त करते हुए निर्देश दिया कि विधि अनुसार प्रत्येक वर्ष का निर्धारण नए सिरे से किया जाए। यदि इस आदेश का शाब्दिक अर्थ लगाया जाए तो यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है। आयकर अधिकारी द्वारा वर्ष 1947-48 और 1948-49 के संदर्भ में पारित आदेश को अपीलीय सहायक आयुक्त के द्वारा संशोधित किया गया और इस प्रकार आयकर अधिकारी स्वयं के द्वारा किये गये आदेश अस्तित्व में नहीं रहे इसलिए आयुक्त अपनी पुनरीक्षण शक्तियों का प्रयोग धारा 33बी(1) के संदर्भ में नहीं कर सकता लेकिन हम यह मानना चाहते हैं कि आयुक्त का आशय उक्त निर्धारण को अपास्त करना नहीं था। समग्र रूप से संपूर्ण आदेश को पढ़ने से यह स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी का पंजीकरण रद्द करने का भार आयुक्त आयकर अधिकारी को यह निर्देश देना चाहते थे कि आवश्यक संशोधन की प्रक्रिया अपनाकर प्रत्यर्थी से कर योग्य राशि का निर्धारण किया जाये। वास्तव में यह स्वीकार किया जाता है कि आयकर अधिकारी ने अपने बाद के आदेश में संबंधित वर्षों के लिए अपीलीय प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रत्यर्थी की कर योग्य राशि को स्वीकार किया गया और धारा 23(5)(बी) के प्रावधानों के अनुसार इस आधार पर कार्यवाही की कि प्रत्यर्थी अपंजीकृत फर्म है। इसलिए हम यह नहीं मान सकते कि आयुक्त के द्वारा पारित आदेश विधि की दृष्टि से गलत है केवल इस आधार पर कि उसने आयकर अधिकारी को एक विशेष तरीके से

आयकर अधिकारी को निर्देश दिया। इस प्रकार प्रश्न संख्या दो का उत्तर नकारात्मक होगा। जहां तक प्रश्न संख्या 3 का संबंध है यह समझना मुश्किल है कि यह प्रश्न अधिकरण की कार्यवाही में किस प्रकार उत्पन्न हुआ। यह प्रश्न प्रत्यर्थी के विरुद्ध आयकर अधिकारी के द्वारा पारित किये गये नए आदेश की प्रक्रिया की वैधता को चुनौती देता है। यह कार्यवाही स्पष्ट रूप से आयुक्त के विवादित आदेश के बाद की है जो कि धारा 33बी(1) के अंतर्गत पारित किया गया है इसलिए हम यह समझने में असमर्थ हैं कि अधिकरण ने प्रत्यर्थी को अपील में यह प्रश्न उठाने की अनुमति दी जो कि प्रत्यर्थी ने आयुक्त के आदेश अंतर्गत धारा 33बी(1) के विरुद्ध अपील में उठाया है। इसके अलावा श्री अययंकर ने हमारे समक्ष उचित रूप से यह स्वीकार किया है कि जब आयकर अधिकारी ने प्रत्यर्थी के पंजीकरण रद्द करने के परिणामस्वरूप प्रत्यर्थी से देयकर की वसूली के लिए एक अलग प्रक्रिया से आगे बढ़े तो वहां प्रत्यर्थी को अन्य नोटिस दिये जाने की आवश्यकता नहीं थी। इस प्रकार प्रश्न संख्या 03 का उत्तर भी नकारात्मकता में है।

परिणामस्वरूप सभी प्रश्नों का उत्तर अपीलार्थी के पक्ष में दिया जाता है। उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश अपास्त किया जाता है और अपील समस्त खर्चों के साथ में स्वीकार की जाती है।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी ऋतु मीणा द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।